अतिमहत्वपूर्ण

सं0-11/2025/500/तीस-4-2025/30-4099(099)/256/2024

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 10 मई, 2025

विषयः- 'उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2025/496/तीस-4-2025/30-4099(099)/256/2024, दिनांक 07.05.2025 द्वारा 'उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025' (ई-शासनादेश पर उपलब्ध) प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में निजी निवेश से स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना हेतु आवेदन-आमंत्रण एवं स्थापना सम्बन्धी कार्य हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 'स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क नियामक प्राधिकारी' का गठन निम्नवत किया जाना प्राविधानित है :-

(1)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त प्रणाली के जनपदों में पुलिस आयुक्त के द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(3)	नगर आयुक्त, नगर निगम/सचिव, विकास प्राधिकरण/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत सचिव	सदस्य-सचिव
(4)	संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी	सदस्य
(5)	संबंधित सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
(6)	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	सदस्य
(7)	सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन निगम	सदस्य
(8)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(9)	अध्यक्ष, नियामक प्राधिकारी/जिलाधिकारी के द्वारा नामित कोई विषय विशेषज्ञ	सदस्य

2- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन जनपद में निजी क्षेत्र में निजी निवेश से स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना को मूर्त रूप दिए जाने के प्रयोजनार्थ उपरोक्तानुसार गठित नियामक प्राधिकारी की बैठक आहूत कर विषयगत नीति में प्राविधानित व्यवस्थान्तर्गत यथापेक्षित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव

http://transport.up.gov.in

संख्या-11/2025/500(1)/तीस-4-2025/30-4099(099)/256/2024, तद्दिनांक :-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in